

प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2013 प्र0सु0रि0स0 09
दिनांक 09.12.2013
2. धारा 7 पी0सी0 एकट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 09.12.2013
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 09.12.2013 समय 02:00 पी0एम0.
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 10
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थल: (क) थाने से दिशा एंव दूरी करीब 20 कि0मी0 रायपुररानी
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
नाम रामबीर
पिता का नाम स्व0श्री कीडूराम
राष्ट्रीयता भारतीय
व्यवसाय खेतीबाड़ी
पता गांव सरकपुर तहसील जिला पंचकूला
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण :—
सेहन लाल पटवारी रायपुररानी
लिंग पुरुष
भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :— सेवा मे पुलिस अधिकारी मु0 राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला, श्री मान जी निवेदन है कि मै रामबीर वासी सरकपुर तहसील व जिला पंचकूला का रहने वाला हूँ खेतीबाड़ी का काम करता हूँ मेरी जमीन मौजा सरकपुर हदबस्त न0 14 खेवट न0 731170 मे विरासत पर इन्तकाल दर्ज हुआ था मेरे सभी भाईयों प्रीतम सिंह उर्फ वेद प्रकाश, महाबीर, धर्मपाल जसबीर, अशोक कुमार पुत्र कीडूराम सुरेश कुमारी पुत्री कीडूराम रेखा रानी विधवा रणबीर सिंह, कोमल पुत्री रणधीर सिंह अमनदीप, रमनदीप पुत्र रणधीर सिंह, कलासो देवी माता रणधीर सिंह वासी सरकपुर इन सभी के नाम दर्ज हो गये थे परन्तु गलती से मेरा रामबीर पुत्र कीडूराम दर्ज होने से छुट गया सेहत का इन्तकाल दर्ज करने के लिए सोहन लाल पटवारी हल्का के पास कई बार गया तहसीलदार से दरखास्त मार्क करवा कर भी दी लेकिन पटवारी 2500 रु0 रिश्वत मांग रहा है । जो मै उसे देना नहीं चाहता । कृप्या करके कानूनी कार्यवाही की

जाये । रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि रायपूरानी पहुंच कर पेश कर दूंगा । हस्ताः— रामबीर कार्यवाही पुलिस :— आज दिनांक 9.12.13 को मुद्रई रामबीर पुत्र कीड़ूराम निवासी गांव सरकपूर तहसील व जिला पंचकूला की दरखास्त उपरोक्त प्राप्त हुई । मुद्रई ने इस बारे अपना शपथ पत्र भी पेश करने वारे कहा । दरखास्त मार्क शुदा जनाब पुलिस अधीक्षक वा शपथ पत्र मजबून मे जेरधारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 का सरजद होना पाया गया है । मन नि० मय ई.एस.आई हरीकृष्ण, ई.ए.एस.आई रणजीत सिंह 70 अम्बाला चालक वा सवारी गाड़ी सरकारी कार न० एच.आर. 0226ए—9990 मय तफतीशी बैग मय मुद्रई रामबीर के रवाना मौका का होता हूँ । मुद्रई ने रिश्वत की दी जाने वाली राशी मु० 2500/-रु० रायपुररानी पहुंच कर पेश करने वारे कहा । तहरीर बराये कायमी मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी व्यूरो, पंचकूला भेजी जा रही है । मिसल मुकदमा मौका पर भिजवाई जावे । सि० नन्द लाल न० 247 पंचकूला हाजिर मुख्यालय है जिसको तहरीर दे कर रवाना थाना रा०चौ०व्यूरो पंचकूला किया जा हर है । हस्ताः— सुरेश कुमार निरीक्षक राज्य चौकसी व्यूरो, हरियाणा पंचकूला दिनांक 9.12.13 एट 1:25 पी.एम । अज थाना :— उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके स्पैशल रिपोर्ट प्रथम सूचना सेवा मे ईलाका मैजीस्ट्रेट पंचकूला व नकूलात प्रथम सूचना उच्च अधिकारियों की सेवा मे असल मिसल मय तहरीर बदस्त सि० नन्द लाल न० 247 पंचकूला बरमौका भिजवाई जा रही है ।

अनुसंधान अधिकारी :— नि० सुरेश कुमार रा०चौ०व्यूरो, (मु), पंचकूला ।

ईलाका मैजीस्ट्रेट पंचकूला
बदहस्त सि०नन्द लाल 247 पंचकूला

हस्ताः—

नि० सुरेश कुमार 191/एच.ए.पी
थाना रा०चौ०व्यूरो,
पंचकूला । दि० 9.12.13

प्रेषक

प्रबन्धक थाना,
थाना राज्य चौकसी व्यूरो,
पंचकूला मण्डल, पंचकूला ।

सेवा में

पुलिस अधीक्षक,
राज्य चौकसी ब्यूरो,
हरियाणा, पंचकूला ।

क0 /थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला दिनांक

विषय:— मुकदमा न0 02 दिनांक 17.1.14 जेरधारा 7, पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी
ब्यूरो, पंचकूला ।

यादी:

उपरोक्त अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट की टाईपशुदा चार प्रतियां आवश्यक
कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित हैं ।

प्रबन्धक थाना,
थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,
हरियाणा, पंचकूला ।